कम्पनी की तरफ आयकर की कोई बकाया नहीं है।

प्रश्न में मांगी गयी अन्य सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र ही सदन-पटल पर रख दी जायगी।

(ख) यह पता चला है कि टीटागढ़ पेपर मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता एक लिमिटेड कम्पनी है जो कम्पनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत है और, इस प्रकार उसका कोई भागीदार होने का प्रश्न ही नहीं उठता। विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (कम्पनी कार्य विभाग) के पास इस समय उपलब्ध सूचना के अनुसार, उक्त कम्पनी के पंजीकरण की तारीख 28-7-1882 है और इसमें लगाई गई पूंजी के उपलब्ध ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

निम्नलिखित को समाप्त अवधि के तुलन पत्र के अनुसार	प्रदत्त पूंजी (लाख रुपयों में)
31-3-1948 से 31-3-1950 तक .	100.91
31-3-1951	142.92
31-3-1952 से 31-3-1962 तक .	142.92
31-3-1964 . . .	310.80
31-3-1965 से 31-3-1967 तक .	310.92
31-3-1968 . . .	449.08
31-3-1969 से 31-3-1976 तक .	450.94
31-3-1977 . . .	493.94

कम्पनी अधिनियम के अधीन तुलन-पत्र समग्र आधार पर तैयार किए जाते हैं, न कि एककों के अनुसार, और फिर, एककों की कोई अलग से प्रदत्त पूंजी नहीं होती है। इसलिए, मैसर्स टीटागढ़ पेपर लिमिटेड के चौदर एकक के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

अपर इंडिया कोपर पेपर मिल्स लिमिटेड, लखनऊ द्वारा उत्पादन शुल्क, आयकर और सीमा शुल्क का भुगतान

1733. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपर इंडिया कोपर पेपर मिल्स लिमिटेड, मस्जिद बाग, लखनऊ ने गत तीन वर्षों के दौरान कितना उत्पादन-शुल्क आयकर और सीमा-शुल्क का भुगतान किया है तथा कितना भुगतान अभी करना है; और

(ख) इस फर्म के निर्माण से अब तक इसमें अलग अलग वर्षों में कितनी कितनी पूंजी लगी है; इसके कितने भागीदार हैं और इसके भागीदारों ने अब तक कितना आयकर दिया है और वे अन्य किन उद्योगों और व्यापार में भागीदार हैं तथा उनमें कितनी पूंजी लगी है तथा उन पर कितना आयकर बाकी है तथा गत तीन वर्षों के दौरान उन्होंने कितना आयकर दिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज़ुल्फिकारुल्लाह) : (क) जहां तक अपर इंडिया कोपर पेपर मिल्स लि., मस्जिद बाग, लखनऊ द्वारा पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष सीमाशुल्क की अदायगी के बारे में सूचना का सम्बन्ध है, वह प्रस्तुत नहीं की जा सकती क्योंकि किसी भी आयातकर्ता / निर्यातकर्ता विशेष द्वारा अदा किये गये सीमाशुल्क का वर्षवार रिकार्ड नहीं रखा जाता है ।

प्रश्न में मांगी गयी अन्य सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सदन-पटल पर रख दी जायगी ।

(ख) यह पता चला है कि अपर इंडिया कोपर पेपर मिल्स लि., मस्जिद बाग, लखनऊ एक लिमिटेड कम्पनी है, जो कम्पनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत है और इस प्रकार, उसका कोई भागीदार होने का प्रश्न ही नहीं उठता । इस समय विधि, न्याय और कम्पनी (कम्पनी कार्य विभाग) के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, उक्त कम्पनी के पंजीकरण की तारीख 26-10-1919 है और उसमें लगाई गई पूंजी के वर्षवार ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं:—

निम्नलिखित को समाप्त अवधि के लिये तुलन-पत्र के अनुसार	प्रदत्त पूंजी (रुपये)
30-6-1948 से 30-6-1952 तक .	8,00,000
30-6-1953 .	8,05,750
30-6-1955 से 31-12-1973 तक	12,00,000